

नेर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना
जिला झालावाड राजस्थान

करण संख्या 96/दावा/21

तारीख दायरा 04.08.2021

ऑनलाइनप्रकरण संख्या 2021/136

उनवान

1. कन्हैयालाल पिता धुलीलाल जाति गाडरी निवासी हरिपुरा हाल किशनपुरिया
2. पाना बाई पत्नी धुलीलाल गाडरी निवासी हरिपुरा हाल किशनपुरिया
3. राजूबाई पुत्री धुलीलाल गाडरी निवासी हरिपुरा हाल किशनपुरिया
4. कमलीबाई पुत्री धुलीलाल गाडरी निवासी हरिपुरा हाल किशनपुरिया
5. चन्दा बाई धुलीलाल गाडरी निवासी हरिपुरा हाल किशनपुरिया तहसील मनोहरथाना

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना

— प्रतिवादी

वाद/प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0ले0रे0एक्ट

निर्णय

दिनांक 24.06.2022

स्थिति:— वकील वादीगण श्री केसरी सिंह पुष्पद

गावली पेश हुई संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने प्रार्थना पत्र
सर्गत धारा 136 ले0रे0ए0 के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम हरिपुरा पटवार
का खाताखेडी तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 31 पुरानी 30 की
सरा नम्बर 153 की 0.6151 खसरा नम्बर 155/153 की 0.9955 हैक्टेयर कुल 2 किता की
3106 हैक्टेयर भूमि मृतक धुलीलाल पिता देवीराम व सहखातेदारान दयाराम नाराण,
गीलाल पिता देवीराम के शामलाती खाते में दर्ज है। वर्णित आराजी में हम वादीगण के
ता धुलीलाल पिता देवीराम का नाम सही एवं वास्तविक है परन्तु जमाबन्दी में हमारे पिता
तक धुलीलाल पिता देवीराम के बजाय कुन्जीलाल पिता देवीराम दर्ज हो रहा है जो गलत
दुरूस्त होने योग्य है वर्णित आराजी में हम वादीगण के पिता (मृतक) का नाम कुन्जीलाल
ता देवीराम गलत दर्ज त्रुटि वंश पटवारी हल्का द्वारा गलत दर्ज हो गया है जबकि हम
वादीगण के पिता मृतक कुन्जीलाल का वास्तविक नाम धुलीलाल पिता देवीराम है जो सही एवं
तथ्य है क्योंकि हमारे पिता का मृत धुलीलाल का नाम राशन कार्ड, आधार कार्ड, व पहचान

पत्र में सही एवं वास्तविक नाम दर्ज हो रहा है जो कि हमारे पिता का नाम सही एवं सत्य है। वाद पत्र के साथ राशन कार्ड, पहचान पत्र व आधार कार्ड की छाया पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न है जो वाद का मुख्य अंग है। इस हेतु वादीगण ने प्रतिवादी तहसीलदार मनोहरथाना से कई बार निवेदन किया तथा आवेदन किया परन्तु उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर पुनः अंतिम बार दिनांक 15.06.2021 को आवेदन करने पर कोई सुनवाई नहीं करने से वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का खाताखेडी तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 31 पुरानी 30 की खसरा नम्बर 153 की 0.6151 खसरा नम्बर 155/153 की 0.9955 हैक्टेयर कुल 2 किता की 1.6106 हैक्टेयर भूमि में कुन्जीलाल पिता देवीराम दुरुस्त कर धुलीलाल पिता देवीराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अमल दरामद की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी से जवाब तलब किया प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं दस्तावेज पर गौर किया गया। जिसके आधार पर वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार को आदेश दिया जाता है कि वर्णित आराजी ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का खाताखेडी तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 31 पुरानी 30 की खसरा नम्बर 153 की 0.6151 खसरा नम्बर 155/153 की 0.9955 हैक्टेयर कुल 2 किता की 1.6106 हैक्टेयर आराजी में वादी का नाम कुन्जीलाल पिता देवीराम का नाम दुरुस्त कर धुलीलाल पिता देवीराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अमल दरामद की जावें। डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।


(श्री उपविभागाध्यक्ष (सि. ए. एस.)
उपविभागाध्यक्ष, जिला मालावाड
मनोहरथाना)

फाईनल डिक्री मुकदमात इब्तदाई
(ओ020 रूल0 6-7 जाप्ता दीवानी)

बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला
झालावाड राज0 .

प्रकरण संख्या 96/दावा/21

तारीख दायरा 04.08.2021

ऑनलाइन प्रकरण संख्या 2021/136

उनवान

1. कन्हैयालाल पिता धूलीलाल जाति गाडरी निवासी हरिपुरा हाल किशनपुरिया
2. पाना बाई पत्नी धुलीलाल गाडरी निवासी हरिपुरा हाल किशनपुरिया
3. राजूबाई पुत्री धुलीलाल गाडरी निवासी हरिपुरा हाल किशनपुरिया
4. कमलीबाई पुत्री धुलीलाल गाडरी निवासी हरिपुरा हाल किशनपुरिया
5. चन्दा बाई धुलीलाल गाडरी निवासी हरिपुरा हाल किशनपुरिया तहसील मनोहरथाना
-वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना

- प्रतिवादी

धारा 136 एल0आर0एक्ट

इज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ अभिषेक चारण (आर0ए0एस0) बहाजरी
कील वादनी श्री केसरी सिंह पुष्पद मिन जानिब मुद्दालय -----ने पेश होकर
द डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-

म हरिपुरा पटवार हल्का खाताखेडी तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 31
पानी 30 की खसरा नम्बर 153 की 0.6151 खसरा नम्बर 155/153 की 0.9955 हैक्टेयर
ल 2 किता की 1.6106 हैक्टेयर आराजी में वादी का नाम कुन्जीलाल पिता देवीराम का नाम
स्त कर धुलीलाल पिता देवीराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अमल दरामद की जावें।

ज दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से मजमे आम मे जारी
गई।


(श्री-अभिषेक चारण आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी झालावाड
मनोहरथाना